स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 90, दिनांक 18–03–2025

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 01.80 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 18–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को 01.80 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1. मोहम्मद अहसन पुत्र स्व0 इब्राहिम खान निवासी ग्राम कोलउन थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर उ0प्र0। **(चालक)**
2. मोहम्मद कैफ पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम मन्नापुर पोस्ट–शाहपुरी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उ0प्र0। **(सहचालक)**
3. मन्नान खान पुत्र सरफराज खान निवासी ग्राम पगिया पोस्ट–खैरही थाना कर्मा जनपद सोनभद्र उ0प्र0।

<u>बरामदगी</u> :–

1– 01.80 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 45 लाख रूपये)।

2– 01 अदद ट्रक टाटा नं0 यू0पी0 67 टी 9655।

3– 03 अदद मोबाइल फोन।

4– नकद 830/–रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

नैनी इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन को जाने वाली सड़क के दाहिने तरफ पार्किंग के पास थाना क्षेत्र नैनी, प्रयागराज। दिनांक 18.03.2025 समय 16:45 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

दिनांक 18–03–2025 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद प्रयागराज में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य

छत्तीसगढ़ से ट्रक नं0 यू0पी0 67 टी 9655 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड करके नैनी प्रयागराज आने वाले है। इस सूचना पर उपनिरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार, अश्वनी कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी किशन, आरक्षी चालक रवि कान्त सिंह की टीम द्वारा नैनी इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन को जाने वाली सड़क के दाहिने तरफ पार्किंग के पास थाना क्षेत्र नैनी के पास उक्त ट्रक को रोककर तलाशी ली गयी तो धान के सड़े हुए कने की बोरियों के अन्दर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) छिपाकर रखा हुआ पाया गया, जिस पर तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उनका अवैध मादक पदार्थ तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये छत्तीसगढ़ राज्य से गॉजा लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में ऊँचें दामों में बेचते है। इस गिरोह में मऊआइमा जनपद प्रयागराज निवासी विजय भी शामिल है, जिसके साथ मिलकर यह लोग कई वर्षों से अवैध गांजे की तस्करी का काम करते आ रहे है। यह लोग कुछ दिन पहले ही प्रयागराज से महोली जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ राज्य गये थे जहॉ पर विजय द्वारा ट्रक में धान के सड़े हुए कने की बोरियों के अन्दर अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड कराया था, जिसे लेकर यह लोग प्रयागराज आ रहे थे। इसके पूर्व भी इनके द्वारा कई बार उत्तर प्रदेश में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) सप्लाई किया जा चुका है। इस काम में जो भी मुनाफा होता है वह आपस में बराबर–बराबर बॉट लेते है। गॉजे को समय से पहुॅचाने के एवज में इन्हें ईनाम के रूप में 15–15 हजार रूपये अलग से दिये जाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना नैनी, कमिश्नरेट प्रयागराज में मु0अ0सं0 133/2025 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।